वाणिज्य, नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1979

सा० का० नि० 674.—चाय नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 49 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित रूप में भारत सरकार के वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना सा० का० नि० सं० 1330 तारीख 11 नवम्बर, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 11 नवम्बर, 1978, पृष्ठ 2549-51 पर प्रकाशित किया गया था, और उस राजपत्र के, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, जनता को उपलब्ध करा दिये जाने की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ;

और उक्त राजपत्र जनता को 15-11-1978 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम चाय (संशोधन) नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चाय नियम, 1954 में—

(1) नियम 2 में, खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(iiik) 'उपाध्यक्ष' से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

(2) नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) बोर्ड किसी प्रशासनिक शक्ति का प्रत्यायोजन, कार्य पालक समिति या निर्यात अभिवर्धन समिति से भिन्न किसी समिति को नहीं करेगा ।

(2) बोर्ड किसी भी स्थायी समिति को निम्नलिखित शक्तियों में से किसी भी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं करेगा :—

(क) किसी भी एक मद के संबंध में 2 लाख रुपए से अधिक के व्यय को मंजूर करने की शक्ति ;

(ख) बोर्ड की ओर से उसके बजट प्राक्कलनों को अंगीकृत करने की शक्ति ;

(ग) किसी भी एक मद के संबंध में, भारत से बाहर किए जाने वाले 50,000 रुपए से अधिक के व्यय को मंजूर करने की शक्ति ;

(घ) किसी भी एक मद के संबंध में, 5,000 रु० से अधिक की प्राक्कलित बचत को पुनः विनियोजित करने की शक्ति ;

(ङ) किसी भी एक मद के संबंध में, 2,500 रु० से अधिक की हानि को बट्टे-खाते डालने की शक्ति ।

(3) नियम 19 में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि ऐसे किसी भी पद पर, जिसका अधिकतम वेतन 1,700 रु० प्रति मास से अधिक है, नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जाएगी " ।

(4) नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"20. पदों का सृजन और समाप्ति :—बोर्ड अपने प्राधिकार में और बोर्ड के अनुमोदित बजट में निधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, ऐसे पदों का सृजन कर सकेगा जिनका अधिकतम वेतन 1,700 रु० प्रति मास से अधिक नहीं है, तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से अन्य पदों का भी सृजन कर सकेगा" ;

(5) नियम 36 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"36. व्यय उपगत करने की शक्ति :—

(1) इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड किसी भी शीर्ष के अधीन बजट आबंटन के भीतर रहते हुए कोई भी व्यय कर सकेगा और किसी भी एक मद के संबंध में 5,000 रु० तक की हानि को बट्टे-खाते डाल सकेगा और इस संबंध में, ऐसी वित्तीय शक्तियां, जिन्हें वह समीचीन समझे बोर्ड की किसी स्थायी समिति या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सचिव या किसी अन्य ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए :

परन्तु, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया जाएगा जो किसी भी शीर्ष के अधीन मंजूर किए गए बजट आबंटन से अधिक है ।

(2) बोर्ड नियम 34 के उपनियम (3) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i), (ii), (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट व्यय-शीर्षों के बीच और किसी एक शीर्ष के अधीन उपशीर्षों के बीच पुनर्विनियोग कर सकता है । एक ही शीर्ष के अधीन उपशीर्षों के बीच पुनर्विनियोग के संबंध में बोर्ड, नियम 18 के उप नियम (2) के खंड (ख) के अधीन रहते हुए, अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन उस स्थायी समिति को कर सकेगा जिसके क्षेत्र के भीतर संबद्ध कार्य आता हो ।

(3) बोर्ड केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी एक मद के संबंध में, भारत के बाहर 1,00,000 रु० से अधिक व्यय नहीं करेगा और नियम 18 के उपनियम (2) के खंड (ग) के अधीन रहते हुए, इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन निर्यात अभिवर्धन समिति को कर सकेगा ।

(4) यदि बोर्ड की स्कीमों को कार्यान्वित करते समय किन्हीं आकस्मिकताओं में अप्रत्याशित रूप में यह पता लगता है कि कोई विनिष्ट स्कीम पूर्णतः कार्यान्वित नहीं की जा सकती है या उसके कार्यान्वयन की अब आवश्यकता नहीं रह गई है या ऐसी आवश्यकता उत्पन्न हो गई तो वह 25,000 रुपए तक की निधि किसी एक अनुमोदित विकास स्कीम से दूसरी ऐसी स्कीम को अन्तरित कर सकेगा किन्तु यह तब जब कि बजट के सभी प्रावधान अनुमोदित हो गए हैं और अंतरिती और अंतरक दोनों ही स्कीमें अनुमोदित बजट के अंतर्गत हों ।

(6) नियम 18 के उपनियम (1) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"और ऐसी प्रत्येक मंजूरी इस शर्त के अधीन होगी कि मंजूरियों के अनुसरण में ऐसी संविदाएं निष्पादित करने की शक्ति बोर्ड में निहित होगी" ।

(7) नियम 40 में :—

(क) द्वितीय परन्तुक में, "विदेश मंत्रालय में" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में जहां विदेशों में प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने के लिए बोर्ड को अपने अधिकारी प्रतिनियुक्त करने के लिए सक्षम होगा जब कि,—

(क) उस प्रदर्शनी या मेले को, जिसमें भाग लेना है, केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदित कर दिया है ;

(ख) उस व्यय के लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है ; और

(ग) बोर्ड प्रत्येक वर्ष ऐसी प्रदर्शनियों और मेलों की, जिनमें चाय की अभिवृद्धि के लिए उसके भाग लेने की संभावना है, तथा मुख्यालयों से प्रतिनियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की भी, एक समेकित सूची बनाए तथा उस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर ले ।

[एफ० सं० 1-12013(3)/74-प्लांट (ए)]

श्रीमती आदर्श मिश्र, उप सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 25th April, 1979

G.S.R. 674.—Whereas a draft of certain rules further to amend the Tea Rules, 1954 was published, as required by Sub-section (1) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) at pages 2549-51 and in Part II, section 3, sub-section (1) of the Gazette of India, dated the 11th November, 1978, with the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, Civil Supplies & Cooperation (Deptt. of Commerce), G.S.R. No. 1330, dated the 11th November, 1978, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date the Official Gazette containing the said notification was made availabe to the public;

And whereas, the said Official Gazette was made available to the public on the 15th November, 1978;

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 49, of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tea Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Tea (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Rules, 1954 :—

(1) In rule 2, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(iii-a) 'Deputy Chairman' means The Deputy Chairman of the Board";

(2) for rule 18, the following rule shall be substituted, namely :—

(1) The Board shall not delegate any administrative powers to any Committee other than the Executive Committee or the Export Promotion Committee.

(2) The Board shall not delegate any of the following powers to any of the Standing Committees :—

(a) the power to sanction expenditure in excess of Rs. 2 lakhs in respect of any one item;

(b) the power to adopt budget estimates of the Board on its behalf;

(c) the power to sanction expenditure to be incurred outside India in excess of Rs. 50,000 in respect of any one item;

(d) the power to re-appropriate the estimated savings in excess of Rs. 5,000 in respect of any one item;

(e) the power to write-off losses in excess of Rs. 2,500 in respect of any one item;

3. In rule 19, for the existing proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that no appointment to any post of which the maximum salary exceeds Rs. 1,700 per month shall be made without the previous sanction of the Central Government";

4. For rule 20, the following rule shall be substituted, namely :—

"20 Creation and Abolition of Posts.—The Board may, on its own authority and subject to the availability of funds in the approved budget of the Board, create posts carrying a maximum salary not exceeding Rs. 1,700 per month, and may, with the previous sanction of the Central Government create other posts".;

5. for rule 36, the following rule shall be substituted, namely :—

"36. Powers to incur expenditure :—

(1) Subject to the provisions of the Act and these rules, the Board may incur any expenditure within the budget allotment under any head and write off losses upto Rs. 5,000 in respect of any one item and in this regard, may delegate to the Standing Committees or to the Chairman, Deputy Chairman, Secretary or any other officer of the Board specially authorised in this behalf by the Chairman, such financial powers as it may consider expedient :

Provided that, save with the sanction of the Central Government, no expenditure shall be incurred which is in excess of the sanctioned budget allotment under any head.

(2) Re-appropriations between the heads of expenditure specified in sub-clauses (i), (ii), (viii) and (ix) of clause (c) of sub-rule (3) of rule 34 and between sub-heads within a head may be made by the Board. In respect of the re-appropriations between sub-heads within the same heads, the Board may, subject to clause (d) of sub-rule (2) of rule 18, delegate its power to the Standing Committee within whose area the related function falls.

(3) The Board shall not incur expenditure outside India in excess of Rs. 1,00,000 in respect of any one item without the previous sanction of the Central Government, and may subject to clause (c) of sub-rule (2) of rule 18 delegate its power in this behalf to the Export Promotion Committee.

(4) The Board may transfer funds, upto a limit of Rs. 25,000 from one sanctioned development scheme to another in contingencies where any particular scheme cannot be implemented in full or where the need has ceased or arisen unexpectedly while im-

plementing them, if the overall budget provision has been approved and the transferee and the transferer schemes are both in the approved budget";

(6) in Rule 38, to sub-rule (1), the following shall be added, namely :—

"and every such sanction shall be subject to the condition that the power to execute such contracts in pursuance of the sanctions shall be vested with the Board";

(7) in rule 40;

(a) in the second proviso, the words "in the Ministry of External Affairs" shall be omitted;

(b) after the second proviso, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided also that in cases where the Board has to depute its officers to participate in exhibitions and fairs abroad, it shall be competent for the Board to depute the Officer, if—

(a) the exhibition or fair in which participation is sought has already been approved by the Central Government;

(b) the budget provision exists for incurring expenditure thereto; and

(c) the Board makes every year a consolidated list of exhibitions and fairs in which it would like to participate for tea promotion and also the number of persons to be deputed from the headquarters and gets the prior approval of the Central Government for the programme".

[File No. L-12013 (3)/74-Plant (A)]

Smt. ADARSH MISRA, Dy. Secy.